भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4410

20 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना

4410. डॉ. राजकुमार सांगवान:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश के बागपत जिले सहित विभिन्न अन्य जिलों में पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत भविष्य के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1 जनवरी, 2020 से आज तक देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न की मात्रा और आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	अधिनियम के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या	
	सम्पूर्ण भारत	उत्तर प्रदेश
2020-21 (दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति अनुसार)	7932.80	1465.94
2021-22 (दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति अनुसार)	7972.53	1487.44
2022-23 (दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति अनुसार)	8010.70	1497.77
2023-24 (दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति अनुसार)	8049.94	1505.19
2024-25 (दिनांक 31.03.2025 तक की स्थिति अनुसार)	8056.05	1498.70
2025-26 दिनांक (01.07.2025 तक की स्थिति अनुसार)	8056.05	1498.70

केन्द्र सरकार द्वारा लाभार्थियों का जिलावार आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

...2/-

(ख): इस अधिनियम में 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी को शामिल करने का प्रावधान है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 81.35 करोड़ लाभार्थियों के बराबर है। 81.35 करोड़ लाभार्थियों की अभीष्ट कवरेज की तुलना में, वर्तमान में लगभग 80.56 करोड़ लाभार्थी इस अधिनियम के अंतर्गत कवर किए गए हैं।

(ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक (जुलाई, 2025 तक) खाद्यान्न आबंटन का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार, केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को खाद्यान्न की खरीद/वितरण के लिए विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) पद्धति का विकल्प चुनने वाले राज्यों द्वारा किए गए व्यय हेतु प्रतिपूर्ति के आधार पर निधि जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा राज्यों को केंद्रीय पूल के लिए राज्यों द्वारा उन्हें सौंपे गए खाद्यान्नों की मात्रा के लिए भी निधि जारी की जाती है। डीसीपी राज्यों और एफसीआई को जारी की गई उपरोक्त खाद्य सब्सिडी, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बजटीय आबंटन के अनुसार दी जाती है। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यवार धनराशि आबंटित नहीं की जाती है। एफसीआई और डीसीपी राज्यों को जारी खाद्य सब्सिडी का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

केंद्र सरकार "एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय संचलन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन हेतु राज्य एजेंसियों को सहायता" योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता भी प्रदान करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई धनराशि का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(घ): राशन कार्ड की, "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी)" विशेषता का सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा रहा है।

*****

अनुबंध-I

"राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 20.08.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4410 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक एनएफएसए के तहत खाद्यान्न का आबंटन

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 जुलाई 2025 तक)
1	आंध्र प्रदेश	1871.844	1871.844	1871.844	1871.844	1871.844	623.948
2	अरुणाचल प्रदेश	88.992	88.996	88.996	88.996	88.996	29.665
3	असम	1694.324	1694.726	1695.130	1695.130	1695.130	565.043
4	बिहार	5524.330	5527.100	5527.100	5527.100	5527.100	1842.367
5	छत्तीसगढ़	1384.056	1384.056	1384.056	1384.056	1384.056	461.352
6	दिल्ली	450.690	448.682	448.693	448.777	448.803	149.601
7	गोवा	58.173	59.045	59.045	59.045	59.045	19.682
8	गुजरात	2178.396	2175.742	2185.375	2211.234	2263.346	768.280
9	हरियाणा	795.000	795.000	795.000	795.000	795.000	265.000
10	हिमाचल प्रदेश	508.020	508.020	508.020	508.020	508.018	169.339
11	झारखंड	1739.514	1724.899	1743.731	1751.020	1751.993	583.998
12	कर्नाटक	2608.801	2608.820	2608.836	2608.836	2608.836	869.612
13	केरल	1395.973	1425.049	1425.049	1425.048	1425.049	475.016
14	मध्य प्रदेश	3443.277	3165.838	3259.683	3436.082	3493.795	1164.598
15	महाराष्ट्र	4605.191	4605.192	4605.189	4605.188	4605.188	1535.063
16	मणिपुर	162.598	130.994	136.172	136.286	138.037	46.830
17	मेघालय	176.298	176.298	176.298	176.298	176.298	58.766
18	मिजोरम	65.758	65.758	65.758	65.758	65.758	21.919
19	नागालैंड	138.058	138.058	138.058	138.058	138.058	46.019
20	ओडिशा	2224.920	2244.231	2249.705	2251.617	2253.205	750.608
21	पंजाब	870.120	870.120	870.120	870.120	870.120	290.040
22	राजस्थान	2788.073	2770.584	2770.584	2770.584	2770.584	923.528

23	सिक्किम	44.324	44.324	44.324	44.325	44.325	14.775
24	तमिलनाडु	3677.752	3677.752	3677.752	3677.752	3677.752	1225.917
25	तेलंगाना	1338.000	1338.000	1338.000	1338.000	1337.090	445.348
26	त्रिपुरा	271.192	271.231	271.224	271.231	271.231	90.410
27	उत्तराखंड	502.999	502.999	502.991	502.990	502.990	167.663
28	उत्तर प्रदेश	9436.967	9782.054	9878.535	9935.484	9950.393	3304.225
29	पश्चिम बंगाल	3970.620	3970.620	3970.620	3970.620	3970.620	1323.540
30	अंडमान निकोबार	29.558	29.558	29.558	29.558	29.558	9.853
31	चंडीगढ़	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
32	दादरा व नगर हवेली एवं दमन व दीव	15.892	15.421	15.162	15.128	15.128	5.043
33	जम्मू एवं कश्मीर	734.654	734.654	734.654	734.654	734.654	244.885
34	लद्दाख	16.427	16.427	16.427	16.427	16.427	5.476
35	लक्षद्वीप	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620	1.540
36	पुद्दुचेरी	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	कुल	**54815.412**	**54866.713**	**55096.309**	**55364.884**	**55493.044**	**18498.948**

अनुबंध ।।

"राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 20.08.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4410 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले पांच वर्षों के दौरान एफसीआई और डीसीपी राज्यों को जारी खाद्य सब्सिडी का विवरण नीचे दिया गया है: -

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	एफसीआई	डीसीपी राज्य	कुल
2020-21	462789.00 #	78337.77	541126.77
2021-22	208929.00	79789.54	288718.54
2022-23	200219.20	72282.50	272501.70
2023-24	139661.03	71732.82	211393.85
2024-25	129089.40	70410.60	199500.00
2025-26 (दिनांक 14.08.2025 तक की स्थिति के अनुसार)	**57678**	**5647.41**	**63325.41**

नोट: वित्त मंत्रालय द्वारा एफसीआई और डीसीपी राज्यों को खाद्य सब्सिडी जारी करने के लिए 2,03,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं (एफसीआई के लिए 1,29,080.90 करोड़ रुपये और डीसीपी राज्यों के लिए 73,919.10 करोड़ रुपये)।

संशोधित अनुमान (2020-21) के अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को एनएसएसएफ ऋण के पुनर्भुगतान हेतु 1,18,712 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि आबंटित की गई। तदनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 में एफसीआई को जारी कुल धनराशि में से, दिनांक 31.03.21 तक की स्थिति के अनुसार 339236 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग संपूर्ण एनएसएसएफ ऋण के पुनर्भुगतान के लिए किया गया।

वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक डीसीपी राज्यों को जारी की गई सब्सिडी का विवरण :

क्र.सं.	राज्य का नाम	2020-21 *	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	आंध्र प्रदेश	8424.72	9323.38	6635.97	6268.19	8398.98	800.92
2	बिहार	4117.33	7671.9	10966.1	6557.64	9725.4	1693.4
3	छत्तीसगढ	7193.13	9047.77	7574.81	5236.13	5695.55	17.2
4	गुजरात	9.24	749.43	311.54	267.83	138.87	
5	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	47.38	0	
6	झारखंड ##	3.66	-	-	42.77	502.99	18.44
7	कर्नाटक	323.99	1682.12	2191.75	1222.13	1281.18	203.77
8	केरल	1214.98	1777.86	1544.89	1151.85	1062.36	
9	मध्य प्रदेश	11946.4	14420.6	9471.5	16939.27	10189.04	1711.3
10	महाराष्ट्र	2555.74	4082.07	2725.75	3923.29	327.74	
11	ओडिशा	8985.73	7892.69	7600.05	14473.68	9948.83	520.64
12	पंजाब	1761.53	2047.53	1202.49	2064.56	2572.72203	218.17
13	राजस्थान #	-	-	-	-	0	
14	तमिलनाडु	3109.76	6250.93	8685.95	7072.53	6033.9	30.82
15	तेलंगाना	6879.59	7665.02	5242.76	5367.07	4178.27	284.47
16	त्रिपुरा	29.79	15.58	148.67	106.51	64.26	
17	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	9.09	119.92
18	उत्तराखंड	1371.33	1554.43	1212.25	724.39	1159.26	28.36
19	पश्चिम बंगाल	8792.03	5421.34	6580.11	-	8899.88	
20	डीबीटी *	182.78	186.87	187.24+0.66	267.6	222.278	122.77
		66901.8	**79789.5**	**72,282.50**	**71,732.82**	**70410.6**	**5770.2**

* इसमें वित्त वर्ष 2019-20 में एफसीआई के माध्यम से डीसीपी राज्यों को जारी की गई उपरोक्त निधि के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में डीसीपी शीर्ष से एफसीआई को प्रेषित 11,436 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं ।

अनुबंध-III

"राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 20.08.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4410 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले पांच वर्षों (अर्थात 2020-21 से 2025-26) के दौरान "एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय संचलन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता" योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को जारी की गई निधि।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधि (करोड़ में)- (14.08.2025 तक)*					
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	आंध्र प्रदेश	271.76	122.37	91.73	105.44	281.23	315.43
2	अरुणाचल प्रदेश	0.80	0.00	44.19	8.39	31.32	0.00
3	असम	368.08	545.75	826.91	321.75	443.94	146.13
4	बिहार	796.58	743.27	881.05	434.73	807.42	26.57
5	छत्तीसगढ	124.07	72.48	181.88	355.06	84.38	20.75
6	दिल्ली	4.15	26.27	48.88	0.00	175.18	28.28
7	गोवा	3.15	2.66	4.69	5.67	0.00	0.73
8	गुजरात	285.75	309.46	260.20	124.37	503.25	109.96
9	हरियाणा	19.23	178.23	43.26	45.78	308.83	0.00
10	हिमाचल प्रदेश	2.79	17.69	188.03	29.58	42.74	6.26
11	झारखंड	170.94	282.50	187.02	99.64	101.25	10.99
12	कर्नाटक	84.39	764.16	354.89	148.70	112.18	13.36
13	केरल	23.53	121.00	110.03	403.63	72.07	25.45
14	मध्य प्रदेश	634.60	129.13	844.50	234.66	247.90	30.59
15	महाराष्ट्र	501.91	289.72	621.69	703.54	765.27	81.86
16	मणिपुर	21.63	81.19	31.54	36.46	0.00	0.00
17	मेघालय	104.61	38.78	79.78	20.59	33.54	3.28
18	मिजोरम	11.08	7.71	12.57	0.00	6.54	0.00
19	नागालैंड	15.63	8.15	61.06	31.42	30.74	0.00

20	ओडिशा	18.44	294.18	110.86	872.57	195.70	41.32
21	पंजाब	9.24	51.08	0.00	50.06	263.05	0.03
22	राजस्थान	374.02	585.84	406.77	479.15	257.65	98.09
23	सिक्किम	5.85	7.59	12.33	3.85	3.85	0.15
24	तमिलनाडु	54.32	131.65	543.01	145.90	524.60	0.00
25	तेलंगाना	253.36	69.18	147.95	378.50	111.84	0.00
26	त्रिपुरा	30.50	64.53	49.15	23.92	29.97	2.84
27	उत्तर प्रदेश	1520.57	195.77	1325.40	3213.86	614.57	198.75
28	उत्तराखंड	6.04	67.19	379.83	58.71	106.01	0.00
29	पश्चिम बंगाल	626.64	741.32	535.06	226.32	698.67	98.16
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	चंडीगढ़	0.16	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दादरा व नगर हवेली एवं दमन व दीव	0.43	1.01	1.55	0.87	1.89	0.00
33	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	पुद्दुचेरी	0.36	2.25	2.13	0.00	0.00	0.00
35	जम्मू एवं कश्मीर	137.85	47.51	184.08	139.96	89.82	0.00
36	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	0.00
कुल जारी निधि		**6482.54**	**6000.00**	**8572.03**	**8704.46**	**6945.39**	**1258.97**